

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक- २-५-१७.

सं०...../भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल बिहार सचिवालय भोजशाला प्रबंधक पद के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।** (1) यह नियमावली "बिहार सचिवालय भोजशाला प्रबंधक संवर्ग नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना तक सीमित होगा।
 - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ ।**— जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में —
 - (i) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार;
 - (ii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है, श्रमायुक्त, बिहार, पटना;
 - (iii) 'विभाग' से अभिप्रेत है, श्रम संसाधन विभाग ;
 - (iv) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है, श्रमायुक्त, बिहार नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय भोजशाला के प्रबंधक का संवर्ग ;
 - (v) 'संवर्ग नियंत्री प्राधिकार' से अभिप्रेत है, श्रमायुक्त, बिहार, पटना
 - (vi) 'प्रोन्नति चयन समिति' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के नियम-8 (2) के अधीन गठित चयन समिति ;
 - (vii) 'आयोग' से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग।
3. **संवर्ग का गठन।**— यह संवर्ग बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना तक सीमित रहेगा। इस संवर्ग में निम्नांकित कोटि के पद होंगे।
 - (i) सहायक प्रबंधक— मूल कोटि।
 - (ii) उप प्रबंधक— प्रथम प्रोन्नति स्तर।
 - (iii) प्रबंधक— द्वितीय प्रोन्नति स्तर।
4. **प्राधिकृत बल ।**— (1) विभाग इस संवर्ग में पदों की प्राधिकृत संख्या विनिश्चित कर सकेगा तथा इसके अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद भी सृजित कर सकेगा, अथवा किसी पद को स्थगित या रिक्त रख सकेगा।
 - (2) वेतनमान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए पुनरीक्षण/संशोधन के आलोक में स्वतः पुनरीक्षित/संशोधित समझा जाएगा।
5. **आरक्षण ।**— संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित आरक्षण नीति/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।
6. **अर्हता ।**— इस संवर्ग में उम्मीदवारों की सीधी भर्ती हेतु निम्नलिखित अर्हतायें/शर्तें निम्न प्रकार से होंगी—
 - (i) शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होटल एण्ड कैटरिंग मैनेजमेन्ट में स्नातक या डिग्री की होगी।
 - (ii) उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित की जाय।
 - (iii) किसी मान्यता प्राप्त होटल में प्रबंधक या पर्यवेक्षीय स्तर पर न्यूनतम 3 वर्ष के कार्य का अनुभव।
7. **नियुक्ति ।**— (1) सहायक प्रबंधक के पद पर सीधी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जा सकेगी। परीक्षा की प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम आदि का अवधारण विभाग द्वारा आयोग के परामर्श से गठित विनियमावली के माध्यम से किया जायेगा।
 - (2) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की 01 ली अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करने के बाद उक्त वर्ष के 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के लिये अध्यायना नियुक्ति प्राधिकार द्वारा आयोग को भेज दी जायेगी। आयु की पात्रता रिक्त वर्ष की 01 ली अगस्त के अनुसार होगी।
8. **प्रोन्नति ।** (1) सहायक प्रबंधक से उच्चतर पद पर नियुक्ति सचिवालय स्तर पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की जा सकेगी।

- (2) प्रोन्नति पर विचारण के लिए प्रोन्नति समिति निम्नवत होंगी -
- (क) प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभागअध्यक्ष।
- (ख) श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभागसदस्य-सचिव।
- (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधिसदस्य।
- (घ) अनु० जाति/अनु० जनजाति, अल्पसंख्यक एवं महिला कोटा के एक-एक प्रतिनिधिसदस्य।
- (3) प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित कालावधि संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
- (4) प्रबंधक के पद पर प्रोन्नति वरीयता एवं एतदर्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जा सकेगी।
9. परिवीक्षा अवधि/संपुष्टि।-नवनियुक्त सहायक प्रबंधक नियुक्ति की तिथि से परिवीक्षाधीन घोषित किये जायेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने और उक्त अवधि में सेवा संतोषप्रद होने तथा कम्प्यूटर परीक्षा सहित विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा सम्पुष्ट की जाएगी। उक्त अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर परिवीक्षा अवधि अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी, परन्तु किसी भी दशा में परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्षों से अधिक की नहीं होगी। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर उन्हें सेवा मुक्त किया जा सकेगा।
10. प्रशिक्षण।- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके लिए प्रशासी विभाग एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेगा।
11. वरीयता का अवधारण।-(1) श्रमायुक्त, बिहार द्वारा प्रबंधक की वरीयता सूची अवधारित एवं संसूचित की जायेगी।
- (2) नियम-7 के उप नियम (1) के अधीन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा मेधाक्रमानुसार होगी।
12. अवशिष्ट मामले।- इस नियमावली या इसके अधीन जारी किये गए आदेशों से अनाच्छादित मामलों के संबंध में, इस संवर्ग के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के कार्मिकों के संबंध में लागू विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।
13. कठिनाईयों का निराकरण एवं निर्वचन।- (1) इस नियमावली के किसी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, इस विषय पर नियुक्ति प्राधिकार का विनिश्चय विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् अंतिम होगा।
14. निरसन एवं व्यावृत्ति।- (1) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व इस संवर्ग के संबंध में निर्गत सभी संकल्प/अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प/अनुदेश के अधीन किया गया कुछ भी इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई कार्रवाई की गई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन कुछ कार्य किया गया था अथवा वैसी कार्रवाई की गई थी।

(संख्या-2/बी०एस०सी०ई०१-०१/२०१७ श्र०सं०-1687)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

अधिसूचना

एस० ओ०-

पटना, दिनांक- 2.5.17

अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के नियम-348 के-खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(संख्या-2/बी०एस०सी०ई०१-०१/२०१७ श्र०सं०-1688.)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

Government of Bihar
Labour Resource Department (Labour Wing)

Notification

Patna, Dated - 2-5-17

No...../ In exercise of powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, is pleased to make the following Rules for the Post of Manager cadre, Bihar Secretariat Canteen.

1. Short title, extent and commencement-

- (i) These Rules may be called as 'Bihar Secretariat Canteen Manager Group Rules, 2017;
- (ii) It shall extend to the Bihar Secretariat Canteen, Patna.
- (iii) It shall come into effect immediately.

2. Definitions- In these rules, unless otherwise requires in the context-

- (i) 'State Government' means, State Government of Bihar;
- (ii) 'Appointing Authority' means, the Labour Commissioner, Bihar, Patna;
- (iii) 'Department' means, the Labour Resource Department;
- (iv) 'Cadre' means, the manager cadre of Bihar Secretariat Canteen under the control of Labour Commissioner, Bihar;
- (v) 'Cadre Controlling Authority' means the Labour Commissioner, Bihar, Patna.
- (vi) 'Promotion Selection Committee' means, the Selection Committee constituted under rule- 8(2) of these Rules;
- (vii) 'Commission' means, the Bihar Staff Selection Commission;

3. Cadre Structure - This cadre shall be confined to the Bihar Secretariat Canteen.

There shall be following three categories of posts in this cadre:-

- (a) Assistant Manager- Basic Category.
- (b) Deputy Manager- First promotional level.
- (c) Manager-Second promotional level.

4. Authorized Strength - (1) The department will determine the authorised number of posts in this cadre and may create also permanent and temporary posts besides this, or may put any post under suspension or vacant.

(2) The pay scale shall be deemed automatically revised/amended in the light of revision/amendment made by the state government from time to time.

5. Reservation- Compliance of reservation policy and roster determined by the state government from time-to-time will be compulsory in this cadre.

6. Qualification- There shall be following qualifications/conditions for direct appointment of the candidates in this cadre:-

- (i) Educational qualification shall be graduate or degree in Hotel and Catering Management from recognized institution.
- (ii) The minimum age will be 21 years and the maximum age will be the same as if may be determined by the government from time to time.
- (iii) Minimum 3 years working experience at the managerial level or supervisory level in any recognized hotel.

7. Recruitment - (1) Direct appointment to the post of assistant manager will be made on the basis of Competitive Examination held from time to time, by the Bihar Staff Selection Commission for this purposes. The procedure of examination and syllabus will be determined by the department in consultation with the Commission.

